रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 1990/पौष 12, 1911
No. 4] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 1990/PAUSA 12, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1990

का.आ. 4(अ) :— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, (1957 का 67) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित खनिजों की बाबत परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन परमाणु खनिज प्रभाग, हैदराबाद एकक के निदेशक द्वारा भी किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) बेरिल और अन्य बेरिलियम-खनिज धारक ;

(ख) लिथियम-खनिज धारक;

(ग) यूरेनियम और थोरियम वाले "दुष्प्राप्य अवोन" समूह के खनिज;

(घ) नियोबियम-खनिज धारक;

(ङ) यूरेनियम वाले फ्लामफ़ोराइट और अन्य फ़ास्फ़ेटिक अयस्क;

(च) पिचब्लेंड और अन्य फ़ास्फ़ेटिक अयस्क;

(छ) स्टाइल;

(ज) टैंटालियम-खनिज धारक;

(झ) यूरेनिफ़ेरस एलानाइट, मोनाजाइट और अन्य थोरियम खनिज;

(ञ) यूरेनियम-ताम्बा और स्वर्ण निष्कर्षण के पश्चात अयस्क में बचे हुए पुच्छ धारक, इल्मेनाइट और अन्य टिटेनियम अयस्क;

(ट) जिर्कोन; और

(ठ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन विहित पदार्थ के रूप में अधिसूचित कोई अन्य खनिज ।

[सं. 1(8)/89/एम-6)]

सुरेन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

ORDER

New Delhi, the 2nd January, 1990

S.O. 4(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the said Act, shall also be exercised by the Director, Atomic Minerals Division, Hyderabad, a unit under the Department of Atomic Energy, in respect of the following minerals, namely :—

(a) Beryl and other beryllium-bearing minerals;

(b) Lithium-bearing minerals;

(c) Minerals of the "rare earths" group containing Uranium and Thorium;

(d) Niobium-bearing minerals;

(e) Phosphorites and other phosphatic ores containing Uranium ;

(f) Pitchblende and other uranium ores ;

(g) Rutile ;

(h) Tantallium-bearing minerals ;

(i) Uraniferous allanite, monazite and other thorium minerals ;

(j) Uranium-bearing tailings left over from ores after extraction of copper and gold, ilmenite and other titanium ores ;

(k) Zircon; and

(l) any other mineral notified as prescribed substance under clause (g) of sub-section (1) of section 2 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962).

[No. 1 (8) |89-M.VI.]

SURENDRA MISHRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990